

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 62 सन 2022

अनवान :-

1. अमरचन्द पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मंगनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बीरू राम प्रजापत पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. बिमला पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. तुलसी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. प्रमेश्वरी देवी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर
6. पतारसी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. बबली देवी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. गोविन्द कुमार पुत्र भंवरीदेवी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर
9. मन्जु कुमारी पुत्री भंवरीदेवी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर
10. सुमित्रादेवी पुत्री भंवरीदेवी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. सीता प्रजापत पुत्री भंवरीदेवी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 04/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 145/18 की कुल 5.0200 हैक् एवं रोही मौजा बरडादास तहसील चुरु के खाता संख्या 169/41 की कुल 4.1987 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मंगनाराम वल्द कालुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मंगनाराम वल्द कालुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मंगनाराम वल्द कालुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें राजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 वादी की बहन भवरीदेवी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कता की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिकी किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिकी फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मंगनाराम वल्द कालुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 145/18 की कुल 5.0200 हैव एवं रोही मौजा बरडादास तहसील चुरु के खाता संख्या 169/41 की कुल 4.1987 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मंगनाराम वल्द कालुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मंगनाराम वल्द कालुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मंगनाराम वल्द कालुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 वादी की बहन भवरीदेवी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों

उपरोक्त प्रतिवादी
कोटर

के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 145/18 की कुल 5.0200हैक् एवं रोही मौजा बरडादास तहसील चुरु के खाता संख्या 169/41 की कुल 4.1987हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि मंगनाराम वल्द कालुराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मंगनाराम वल्द कालुराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मंगनाराम वल्द कालुराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे रखने का नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है जो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 145/18 की कुल 5.0200हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 दोनों बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा बरडादास तहसील चुरु के खाता संख्या 169/41 की कुल 4.1987हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नौहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

- 1 अमरचन्द पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 रामस्वरूप पुत्र मगनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 बीरु राम प्रजापत पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 3 विमला पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 4 तुलसी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 5 प्रमेश्वरी देवी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर
- 6 पतासी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 7 बंबली देवी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 8 गोविन्द कुमार पुत्र भंवरीदेवी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर
- 9 मन्जु कुमारी पुत्री भंवरीदेवी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर
- 10 सुमित्रादेवी पुत्री भंवरीदेवी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 11 सीता प्रजापत पुत्री भंवरीदेवी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर
- 12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 62 सन 2022 निर्णय दिनांक- 04/03/22

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सद्युतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन के खाता संख्या 145/18 की कुल 5.0200 हैक्ठु भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा बरडादास तहसील चुरु के खाता संख्या 169/41 की कुल 4.1987 हैक्ठु भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प, तुकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/03/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर हनुमानगढ)